भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2884
बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र की स्थिति

2884 श्री परिमल नथवानीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या, उनकी वित्तीय स्थिति और प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों सहित सहकारी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) सहकारी समितियों की कुल संख्या, कार्य-निष्पादन और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान सहित देश भर में कार्यशील सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश में और विशेष रूप से गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) सहकारी क्षेत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं और उनके समाधान के लिए सरकार की कार्यनीति क्या है; और
(ङ) सहकारी समितियों के कामकाज में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी पहलें की गई हैं और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार देशभर में 8.32 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां हैं जिनमें 32.8 करोड़ सदस्य हैं । ये सहकारी समितियां 30 विभिन्न क्षेत्रकों में कार्य करती हैं। भारत में सहकारी समितियों के प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रकों में आवासन, डेयरी, कृषि, क्रेडिट और थ्रिफ्ट जैसे क्षेत्रक शामिल हैं ।

ख) दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार कार्यशील सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या **संलग्नक** में दी गई है ।

ग) दिनांक 6 जुलाई, 2021 को स्थापित सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित देश भर में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए **"सहकार-से-समृद्धि"** की परिकल्पना के अधीन विभिन्न पहलें की हैं । इन पहलों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

i) प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना;
ii) शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को सशक्त करना;
iii) आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत देना;
iv) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करना;
v) राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहुराज्य समितियाँ
vi) सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण;
vii) 'सुगम व्यवसाय' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग;
viii) अन्य पहलें

घ) भारत में सहकारी क्षेत्र को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें वित्तीय बाधाएं, शासन की समस्याएं और विनियामक बाधाएं शामिल हैं । कई सहकारी समितियों को अपर्याप्त पूंजीकरण और ऋण तक सीमित पहुंच के कारण संघर्ष करना पड़ता है जिससे उनकी प्रचालन विस्तार और विविधीकरण क्षमता प्रभावित होती है । इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है । सहकारी समितियों को सशक्त करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न पहलें की गई हैं ।

ङ) सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के कामकाज में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(i) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PACS कंप्यूटरीकरण की परियोजना में सभी कार्यशील PACS को एक ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ लिंक करना है । इसके अलावा, PACS के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागतों में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन होता है ।

(ii) दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैली 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना का कार्यान्वयन एजेंसी है ।

(iii) ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु PACS को कॉमन सेवा केंद्रों (CSCs) के रूप में कार्य करने और PACS के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और ।RCTC/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), NABARD और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है।

(iv) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के लिए एक पोर्टल, अर्थात् www.crcs.gov.in का विकास किया गया है जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था । इस पहल का लक्ष्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन विभिन्न सेवाएं को ऑनलाइन प्रदान करना, बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को आसान करना और CRCS कार्यालय के कार्यकरण में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना ।

(v) केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए 94.59 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया गया है । यह मंत्रालय की अम्ब्रेला परियोजना "आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" का एक हिस्सा है ।

(vi) NABARD ने अपनी विकासात्मक भूमिका के तहत वर्ष 2011 में ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) की ऑनबोर्ड करने में सुविधा प्रदान की है । 211 ग्रामीण सहकारी बैंक NABARD द्वारा उपलब्ध कराए गए दो CBS क्लाउड की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं । वर्तमान में NABARD इन बैंकों को अपने CBS सिस्टम को अपग्रेड करने में भी मदद कर रहा है ।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के अम्ब्रेला संगठन (UO) के रूप में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), अर्थात् नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) स्थापित किया गया है । इसका लक्ष्य नवीनतम तकनीकी पर आधारित आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान करते हुए एक सशक्त और विश्वसनीय आईटी अवसंरचना प्रदान करना है जो शहरी सहकारी बैंकों की आईटी लागतों को उल्लेखनीय रूप से घटाकर भारतीय शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर को देश के वित्तीय तंत्र में प्रमुख कर्ताधर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए डिजिटल रूपांतरित करना है।

(viii) गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में दिनांक 21 मई, 2023 को 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई । परियोजना का एक घटक दुग्ध सहकारी समितियों को 'डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का सदस्य बनाने के बाद माइक्रो-एटीएम का वितरण करना और और सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है । पायलट परियोजना की अवधि के दौरान सीख के आधार पर दिनांक 15 जनवरी, 2024 को गुजरात में एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया । 'सहकारिता में सहकार' अभियान के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीव्यापी कार्यान्वियन हेतु एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया गया । दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार 9915 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं ।

*****

संलग्नक

भारत में कार्यशील सहकारी समितियों की कुल संख्या			
क्रम सं.	**राज्य**	**समितियों की कुल संख्या**	**कार्यशील समितियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2231	1207
2	आंध्र प्रदेश	17884	12694
3	अरुणाचल प्रदेश	1302	789
4	असम	11325	6748
5	बिहार	26300	17753
6	चंडीगढ़	476	196
7	छत्तीसगढ़	10980	9706
8	दिल्ली	5944	1937
9	गोवा	5499	2983
10	गुजरात	83735	76725
11	हरियाणा	33300	14369
12	हिमाचल प्रदेश	5439	4542
13	जम्मू और कश्मीर	10124	8475
14	झारखंड	11682	7561
15	कर्नाटक	45292	38928
16	केरल	18174	14991
17	लद्दाख	273	163
18	लक्षद्वीप	43	31
19	मध्य प्रदेश	53740	26517
20	महाराष्ट्र	222860	216160
21	मणिपुर	11458	5108
22	मेघालय	3152	2712
23	मिजोरम	1320	1082
24	नागालैंड	8017	2149
25	ओडिशा	7598	6997
26	पुड्डुचेरी	461	428
27	पंजाब	19237	11579
28	राजस्थान	41094	25052
29	सिक्किम	3797	1620
30	तमिलनाडु	22793	20846
31	तेलंगाना	60517	48311
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	566	381
33	त्रिपुरा	3210	1982
34	उत्तर प्रदेश	44929	19948
35	उत्तराखंड	5572	3898
36	पश्चिम बंगाल	31779	22653
	कुल	**832103**	**637221**

स्रोत: - दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार एनसीडी पोर्टल